www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सूचना अनुभाग
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स लोधी रोड,
नई दिल्ली, 110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 02.01.2017

तत्कालीन सहायक प्रबन्धक, राईट्स लिमिटेड एवं उनके भाई को 37 लाख रू. से एक करोड़ रू. तक जुर्माने सहित तीन से पॉच वर्ष की कठोर कारावास

सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, कड़कड़डूमा कोर्ट, नई दिल्ली ने दो मामलों में राईट्स लिमिटेड, नई दिल्ली के तत्कालीन सहायक प्रबन्धक श्री रवीन्द्र कुमार एवं उनके भाई श्री राजेश कुमार को दोषी ठहराया। श्री रवीन्द्र कुमार को दोनो मामलोंमें 37 लाख रू. जुर्माने सहित 05 वर्ष की कठोर कारावास एवं श्री राजेश कुमार को एक करोड़ रू. जुर्माने सहित 03 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई

सीबीआई ने दिनांक 21.08.2009 एवं 29.07.2011 को दो मामले क्रमश: रवीन्द्र कुमार ; उनके भाई श्री राजेश कुमार एवं अन्यों के विरूद्ध दर्ज किए। ऐसा आरोप था कि श्री रवीन्द्र कुमार, राईट्स, नई दिल्ली में वर्ष 2004 से 2008 में सहायक प्रबन्धक (एफ) के तौर पर कार्य करने के दौरान अपनी पत्नी एवं भाई के साथ मिलकर आपराधिक षड़यंत्र किया और उक्त षड़यंत्र के अनुसरण में विभिन्न ज़ाली व्यक्तियों के नाम से दावा की गई ग्रुप सेविंग्स लिंक इन्सोरेन्स के तौर पर निकाली गई 10,25,789/- रू. लगभग की राशि के कोष का सहारा लिया। इसी तरह से, दुसरे मामले में, श्री रवीन्द्र कुमार ने राईट्स के आधिकारिक दस्तावेजों को झूठा साबित किया एवं अपने भाई राजेश कुमार के साथ षड़यंत्र में कम्पनी के एक करोड. रू. (लगभग) का गबन किया। जॉच के पश्चात, दिल्ली की नामित अदालत में आरोप पत्र दायर किया गयाच।

विचारण अदालत ने दोनो आरोपियों को कसूरवार पाया एवं उन्हे दोषी ठहराया।

****